रजिस्ट्रेशन संख्या :— R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :— के0 पी0 सिटी —67 / 2024—26

चिकित्सा—विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :—
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर—208014
सम्पर्क सूत्र :— 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष — 48 ● संयुक्तांक — 14 एवं 15 ● कानपुर 1 से 15 अगस्त 2026 ● प्रधान सम्पादक — डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया का

धूम—धाम से आयेजित हुआ 48वाँ स्थापना दिवस

ज़िला, मण्डल एवं प्रान्तीय

पदाधिकारियों का हुआ मनोनयन

देश के अनेक प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य परिषदों के गठन का चलायेगी अभियान

21 जून, 2011 को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के पक्ष में निर्णय देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान में किसी भी तरह की सरकारी रूकावट देश के किसी भी राज्य में न रहे इस हेतु इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य सरकारों व केन्द्रशासित राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देशित भी किया है, जिससे हर प्रदेश का यह नैतिक दायित्व बन जाता है कि हर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में इस आदेश को लागू करे, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने इस दिशा में पहल करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर इस आदेश के कियान्वयन करने के लिए लिखा है, राज्य सरकारें इस आदेश के कियान्वयन के अनुपालन में हीला हवाली या देरी कर सकती हैं इसलिए सरकारों पर दबाव बनाने हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने अपना विक्रेन्द्रीकरण कर दिया है इसीलिए देश के हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य परिषदों का गठन किया जा रहा है, इन परिषदों का गठन होते ही हर राज्य परिषद एक स्वतन्त्र इकाई की तरह अपने प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के अधिकारो को दिलाने हेतु प्रतिबद्ध रहते हुए उनको संरक्षण प्रदान करेगी।

यद्यपि इस सगठन द्वारा किये जाने वाला कोई नया काम नहीं है पूर्व में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया पूरे देश में चिकित्सकों को संरक्षण प्रदान करती रही है, 21 जून 2011 को भारत सरकार का आदेश आने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति बदल चुकी है ज्यों—ज्यों प्रदेश सरकार इस आदेश का अनुपालन करेगी त्यों—त्यों प्रदेश सरकारें इस आदेश का अनुपालन करेंगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर सरकारी शिंकजा कसता जायेगा और सरकारी नियम कानून लागू होते जायेंगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया चाहती है कि इलेक्ट्रो हेाम्योपैथी को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो पर साथ में यह भी चाहती है कि सरकारी नियमों या परिनियमो के बनाने के नाम पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई हानि न हो तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों का कोई नुकसान भी न हो तथा सरकार अपने अधिकारों का अतिकमण कर किसी चिकित्सक को बेवजह परेशान न करें।

इन्हीं सब कार्यों पर पैनी निगाह रखने हेतु व हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के राज्य स्तरीय परिषदो का गठन किया जा रहा है।

मंच पर बायें से दायें डा0 सुबोध कुमार सक्सेना—मुरादाबाद, डा0 पी0के0 मार्या— जौनपुर, डा0 एम0 एच0 इदरीसी—अध्यक्ष इहमाई, डा0 आर0 सी0 उपाध्याय— सादाबाद, डा0 पी0 एन0 कुशवाहा—रायबरेली एवं डा0 एन0 बी0 निगम—हमीरपुर

संबन्धित समाचार एवं फोटो पेज 2, 3 एवं 4 पर देखना नहीं भूले

भारत सरकार का आदेश

इहमाई के संघर्षों का परिणाम

आप सभी को याद तो होगा ही जब 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार के आदेश के गलत व्याख्यित होने के कारण पूरे देश में इलेक्ट्रों होम्योपैथी की गतिविधियाँ ठप सी हो गयी थीं हर तरफ निराशा व हताशा थी पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया चुप नहीं बैठी व लगातार प्रयास करती रही सात साल के लगातार संर्घष के बाद अन्ततः 5 मई, 2010 को भारत सरकार ने एक शुद्धि पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया कि 25–11–2003 के पत्र में भारत सरकार का इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा व शिक्षा के प्रतिबन्ध पर कोई प्रस्ताव नहीं है, तत्काल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने सारे भारत में इस आदेश को प्रसारित किया व जन जन के बीच में व्याप्त निराशा को दूर करने का प्रयास किया तथा सरकारी स्तर पर लिखा पढ़ी व पत्र व्यवहार भी किया पर अधिकतर राज्यों ने 5 मई, 2010 के आदेश को मात्र भारत सरकार की राय बतायी व अनुपालन में कोई रूचि नहीं दिखायी, तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने माननीय उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई व मांग की कि भारत सरकार 25–11–2003 एवं 5–5–2010 के आदेशों को मिलाकर पढ़े व उसकी भावना को समझे, माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर निर्णय देते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को नीति नियामक संस्था की तरह स्वीकारते हुए आदेश किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया एक प्रतिवेदन 5–5–2010 के आलोक में पस्तुत करेगी तथा सरकार निर्धारित समय सीमा में अपना निर्णय देगी फलतः इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने प्रतिवेदन दिया तब भारत सरकार ने 21 जून, 2011 का आदेश जारी किया, यह केवल भारत सरकार का आदेश मात्र नहीं था यह न्यायालय के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को नीति निर्धारक संस्था के रूप में स्वीकृति भी थी, ज्ञातव्य हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया देश का सबसे पुराना संगठन है जिसका स्वरूप राष्ट्रीय है, इसका गठन 25 जुलाई 1978 में हुआ था तबसे ही संगठन देश भर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के हितों व संरक्षण का कार्य कर रही है व समय समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए आचार संहिता व दिशा निर्देश जारी कर रही है।

कर्तव्य एवं उद्देश्य

1– इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार व प्रसार करना व समस्याओं के निराकरण हेतु नित्य नये रास्ते खोजना व सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध रहना।

2– इस हेतु समय समय पर सम्मेलन, गोष्ठी, बैद्धिक गोष्ठी व अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।

3– इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के सदस्यों, चिकित्सकों के अधिकारों को प्राप्त करना, संरक्षण देना, सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराना।

4– केन्द सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नियमों उपनियमों को बनवाने के लिए प्रयास करना व सरकार में सहभागिता का प्रयास करना।

5– इलेक्ट्रो होम्योपैथी सदस्य चिकित्सकों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर नई जानकारी देना, पैथी की गुणवत्ता व अनुसंधान के बारे में बताना, नये सदस्यों को जोड़ना इस हेतु प्रत्येक राज्य में चेतना अभियान या जन जागरण अभियान चलाकर चिकित्सकों में व्याप्त निराशा दूर करना व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग का संवर्धन करना आदि।

6– बिना किसी भेद भाव व वैमनस्यता के जनता की सेवा करना व पैथी की राष्ट्रीय पहचान बनाना व गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अभियान चलाना।

7– इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं हेतु पाठ्यक्रमों का निर्धारण/मूल्यांकन/अनुमोदन कर मानकों का निरीक्षण/ निर्धारण करना व समय समय पर अनुपालन हेतु निर्देश जारी करना।

प्रैक्टिस का अधिकार

माननीय न्यायालय एवं भारत सरकार के आदेश दिनांक 21जून, 2011 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के सदस्य चिकित्सक ही पूरे भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं।

हमारा संकल्प

इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिये

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा मनोनीत पदाधिकारिगणों की सूची

प्रदेश कमेटी

कार्यकारी अध्यक्ष

डा0 पी0 आर0 धूसिया, लखनऊ

उपाध्यक्ष

1– EHडा0 सत्यपाल वर्मा – प्रतापगढ़

2– EHडा0 गौरव द्विवेदी – उन्नाव

3– EHडा0 शिवकुमार पाल– फिरोजाबाद

4– EHडा0 प्रिंस श्रीवास्तव– महाराजगंज

5– EHडा0 राधेश्याम रजक– हाथरस

सचिव

मिथलेश कुमार मिश्रा कानपुर

संगठन मंत्री

श्रीमती अर्चना विश्वकर्मा लखीमपुर

प्रदेश विधि सलाहकार

श्री नरेन्द्र नाथ एडवोकेट जालौन

मण्डल प्रभारी

1– EHडा0 अशफाक अहमद, शाहगंज प्रभारी वाराणसी मण्डल

2– डा0 आशुतोष कपूर, लखनऊ लखनऊ मण्डल

ज़िलाध्यक्ष

01– फतेहपुर	EHडा0 वकील अहमद	09–महाराजगंज	EHडा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव
02– कानपुर	EHडा0 नसीम	10– उन्नाव	EHडा0 संजीवन लाल पाण्डेय
03– जालौन	EHडा0 कमलेश कुमार	11– देवरिया	EHडा0 पी0के0 श्रीवास्तव
04– झाँसी	EHडा0 राजेश त्यागी	12– लखीमपुर	EHडा0 मंजीत कुमार कश्यप
05– रायबरेली	EHडा0 सौरभ कुशवाहा	13– फिरोजाबाद	EHडा0 उमेशचन्द्र भारद्वाज
06– जौनपुर	श्री उमां शंकर प्रजापति		
07– अयोध्या	EHPडा0 नियाज अहमद		
08– हाथरस	EHडा0 नेम सिंह		

विधि सलाहकार हमीरपुर

1– श्री शुभम पटेल एडवोकेट हमीरपुर

2– शिवम पटेल एडवोकेट हमीरपुर

48 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम कैमरे की नज़र में..... पेज 2 से आगे

मंच पर बायें से दायें डा० पी० आर० घुसिया–लखनऊ (कार्यक्रम के संचालक) डा० सुबोध कुमार सक्सेना–मुरादाबाद, डा० पी०के० मौर्या– जौनपुर, डा० एम० एच० इदरीसी–अध्यक्ष इहमाई, डा० आर० सी० उपाध्याय– सादाबाद, श्री मुहम्मद खालिद–लखनऊ, (बी०इ०एच०एम०, यू०पी० के प्रबन्ध समिति के सदस्य) एवं डा० आर० के शर्मा–लखीमपुर

इहमाई के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर एम० एस० डी० ई०एच० मेडिकल इन्सटीट्यूट के चिकित्सकों द्वारा इहमाई के अध्यक्ष डा० एम० एच० इदरीसी को अंगवस्त्र पहनाते हुये

झलकियाँ

" अतिथि देवोभवः "

- आमंत्रित अतिथियों की संख्या निर्धारित से अधिक थी
- लोग इतनी जल्दी में थे कि भूल गये कि जिससे वे हाथ धो रहे हैं वह चाय का कन्टेनर है
- फोटो खिंचाने की होड़ अंत तक लगी रही
- उपेक्षाओं का सिलसिला यहां भी जारी रहा

बी० ई० एच० एम० के लिए डा० अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।

इलेक्ट्रो होम्योपैथक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के 48वें स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की गतिविधियों का साक्षी ...कैमरा पेज 3 से आगे

U.P Press Club, Lucknow में उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते **EHMAI** के अध्यक्ष **Dr. M.H. Idrisi**

इहमाई के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर एम0 एस0 डी0 ई0एच0 मेडिकल इन्सटीट्यूट के चिकित्सकों द्वारा इहमाई के अध्यक्ष डा0 एम0 एच0 इदरीसी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुये

इहमाई के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर यू0पी0 प्रेस क्लब, लखनऊ में उपस्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों, छात्र–छात्राओं का जन समूह